

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,  
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर।

क्रमांक:एफ.4(1)(2)/पोषा./SHG/ICDS/2009/29542-878 जयपुर, दिनांक

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त।

13/3/2020

बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
समेकित बाल विकास सेवाएं,  
समस्त।

विषय :- गरम पूरक पोषाहार की रेसीपी (Recipe) में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्रांक 9089-425 दिनांक 03.02.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों पर आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नाश्ते एवं गरम पूरक पोषाहार की रेसीपी में राज्य के विभिन्न जिलों में खान-पान में विविधता एवं लाभान्वितों में ग्राह्यता के दृष्टिगत सप्ताह में प्रतिदिन के आधार पर रेसीपी निर्धारित कर दिनांक 15.02.2020 से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किए गए थे। इसी क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. सुबह के नाश्ते में बुधवार को दिये जाने वाला दूध एवं गुरुवार को दिये जाने वाला बेसन/तिल के लड्डू के स्थान पर पका केला या मौसमी फल/आटे का हलवा-140 ग्राम/मुरमुरे, चना व गुड-60 ग्राम उपलब्ध कराया जा सकता है।
2. गरम पूरक पोषाहार में मंगलवार को रोटी, सब्जी और दाल व गुरुवार को दी जाने वाली रेसीपी चावल और चना दाल लौकी के स्थान पर रोटी और दाल या अन्य दिनों में दिये जाने वाले किसी भी रेसीपी को उपलब्ध कराया जा सकता है।
3. किसी भी स्थिति में आंगनबाडी केन्द्र पूरक पोषाहार के अभाव में सूखे (DRY) नहीं रहने चाहिये। लाभान्वितों को वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिये।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

4. स्वयं सहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार के बिलों का विभागीय निर्देशानुसार एवं नियमानुसार समयबद्ध भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें। भुगतान के विलम्ब अथवा भुगतान रोके जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।



निदेशक  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.4(1)(2)/पोषा./SHG/ICDS/2009/29879-898 जयपुर, दिनांक

13/3/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1.विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
- 2.निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
- 3.निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 4.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, रामस्त ।
- 5.समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
- 6.एनॉलिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।



अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)